-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी के ई-रिक्शा व बैटरी बरामद।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 27.07.2025 को थाना कोतवाली देहात पर सिविल लाइन के रहने वाले छोटे लाल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे महोखर के पास से तथा खाईपार के रहने वाले सुखराम द्वारा ददरिया मोड़ के पास से 04 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25/26.07.2025 की रात्रि को अपने-अपने ई-रिक्शा चोरी कर जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम थाना कोतवाली देहात पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई जमालपुर-महोखर नहर पुलिया के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल व ई-रिक्शा लिए बैठे है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबन्दी कर सभी को पकड़ लिया गया। तलाशी में एक अभियुक्त अखिलेश वर्मा के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए है। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि यह ई-रिक्शा चोरी की है जिसे कुछ दिन पूर्व अखिलेश वर्मा व अजय वर्मा नें एक बुजुर्ग रिक्शा चालक से 200 रुपये भाड़ा तय करके बांदा स्टेशन से जौरही जा रहा थे इसी दौरान पवन वर्मा व इन्द्रभवन निषाद मोटरसाइकिल से पीछे-पीछे जाकर ददरिया मोड़ के पास जब रिक्शा चालक पेशाब करने उतरकर चला गया तो वे चारों लोग उसका रिक्शा लेकर चले गए तथा ई-रिक्शा को एक जगह खड़ा करके चारों वापस बस स्टैण्ड बांदा आये। वहां से पुनः एक ई-रिक्शा चालक से 700 रुपये में बरगहनी चलने की बात करके चल दिए जैसे ही रिक्शा चालक बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे से बरगहनी की तरफ चला तभी वह भी पेशाब करने के लिए जैसे ही उतरकर सड़क के दूसरी तरफ गया वे चारों उसका भी ई-रिक्शा लेकर चले गये। आज ई-रिक्शा व उसमें की बैटरी निकालकर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के राजू प्रजापति को बेचने जा रहे थे तभी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तथा घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त इन्द्रभवन निषाद जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। अभियुक्तों से मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि इसी मोटरसाइकिल से घूम-घूमकर रेकी करते है तथा मौका मिलने पर चोरी की घटना को अंजाम देते है।

बरामदगी-

- 02 ई रिक्शा (चोरी के)
- 06 बैट्री (चोरी के)
- 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल (चोरी की घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अखिलेश वर्मा पुत्र संतोष वर्मा निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. पवन कुमार वर्मा पुत्र राजू वर्मा निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. अजय कुमार वर्मा पुत्र मूलचन्द्र वर्मा निवासी पिपहरी थाना पैलानी जनपद बांदा।
4. राजू प्रजापति पुत्र चुन्नीलाल प्रजापति निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. इन्द्रभवन निषाद पुत्र राममनोहर निवासी खप्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 181/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 182/25 धारा 303/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 200/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना कोतवाली देहात श्री अनूप कुमार दुबे
2. उ0नि0 श्री कृष्ण बिहारीलाल मिश्रा
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव
4. कां0 दीपक अहिरवार
5. कां0 उदय सिंह
6. कां0 अभिषेक मिश्रा